

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2024, लखनऊ, दिनांक :: 03 :: जनवरी, 2024

—:: आदेश ::—

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह फरवरी 2024 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क्र०सं 01	बैठने का स्थान 02	कार्य आवंटन 03	कार्य- अवधि 04	युगलपीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य 05	
1	मुख्यालय/पीठ लखनऊ पीठ-1, लखनऊ	पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ	दिनांक 05.02.2024 से 08.02.2024 दिनांक 26.02.2024 से 29.02.2024	अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण सदस्य पीठ-2, लखनऊ सदस्य पीठ-1, लखनऊ सदस्य पीठ-3, लखनऊ	न्यायिक विभागीय न्यायिक विभागीय
2	पीठ-1, आगरा	पीठ-1 व 2 आगरा।	दिनांक 12.02.2024 से 14.02.2024	सदस्य पीठ- झांसी सदस्य पीठ-2, आगरा	न्यायिक विभागीय
3	पीठ-1, कानपुर	पीठ-1,2,3 व 4 कानपुर।	दिनांक 12.02.2024 से 15.02.2024	सदस्य पीठ-1, लखनऊ सदस्य पीठ-2, कानपुर	न्यायिक विभागीय
4	पीठ-1 नोएडा	पीठ-1 व 2 नोएडा।	दिनांक 26.02.2024 से 29.02.2024	सदस्य पीठ-1 इलाहाबाद सदस्य पीठ-2, नोएडा	न्यायिक विभागीय
5	पीठ-1, गाजियाबाद	पीठ-1 व 2 गाजियाबाद।	दिनांक 12.02.2024 से 15.02.2024 दिनांक 26.02.2024 से 29.02.2024	अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण सदस्य पीठ-2, गाजियाबाद सदस्य पीठ-1, मेरठ सदस्य पीठ-2, गाजियाबाद	न्यायिक विभागीय न्यायिक विभागीय
6	पीठ-वाराणसी	पीठ-1,2,3,4,5 व 6 वाराणसी।	दिनांक 05.02.2024 से 08.02.2024	सदस्य पीठ-गोरखपुर सदस्य पीठ-4 वाराणसी	न्यायिक विभागीय
7	पीठ-मुरादाबाद	पीठ - मुरादाबाद	दिनांक 19.02.2024 से 22.02.2024	सदस्य पीठ गोरखपुर सदस्य पीठ-मुरादाबाद	न्यायिक विभागीय
8	पीठ-मुजफ्फरनगर	पीठ- मुजफ्फरनगर	दिनांक 19.02.2024 से 22.02.2024	सदस्य पीठ-1, इलाहाबाद सदस्य पीठ- मुजफ्फरनगर	न्यायिक विभागीय
9	पीठ-झांसी	पीठ-झांसी	दिनांक 01.02.2024 से 03.02.2024	सदस्य पीठ- झांसी सदस्य पीठ-4, कानपुर	न्यायिक विभागीय
10	पीठ-मेरठ	पीठ-1 व 2 मेरठ.	दिनांक 05.02.2024 से 08.02.2024	सदस्य पीठ-1, मेरठ सदस्य पीठ-मुरादाबाद	न्यायिक विभागीय

ह0-03-01-2024,

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ 02 /2024, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सम्बन्धित समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।
- 2- कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 3- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक यात्रा भत्ता/विवरण/वेव अधिकारी कम्प्यूटर मुख्यालय/नाजिर मुख्यालय।
- 4- समस्त सदस्य उक्त युगलपीठ गठन का संज्ञान अपने स्तर से राज्य प्रतिनिधि कार्यालयों को भी अवगत करायें।
- 5- सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

(तरुण कुमार)

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।